केस संख्या :– 66 / 2014

उनवान

सरकार बनाम लीला पूरण पुत्रान् महादेव धानका
रेफरेन्स अनतर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट 1956

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14 / 12 / 2016	पत्रावली पेश हुयी। पैरोकार सरकार उपस्थित । पैरोकार सरकार को बार बार अवसर देने तथा सख्त हिदायते देने के पश्चात् भी वास्ते तल्बी अप्रार्थीगण पुनः सम्मन तल्वाना प्रस्तुत नहीं किये गये । दिनांक 05 / 12 / 2016 को पुनः आदेशित करने के बावजूद भी हस्तगत प्रकरण में मान्य न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05 / 6 / 2014 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि श्रीमान् निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र कमांक / राम / न्याय / रेफरेन्स / एल.आर. / 5706 / 10 / जयपुर दिनांक 11 / 7 / 2014 के संलग्न कर इस न्यायालय को भिजवाते हुए प्रतिलिपि सीधी ही तहसीलदार कोटपूतली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है, में अभि निर्धारित किया गया है कि अब्दुल रहमान प्रकरण की निरन्तरता में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1153 / 11 उनवानी सुओमोटो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दिनांक 29 / 5 / 2012 को पारित निर्णय में विस्तृत निर्देशों के साथ यह भी कहा गया है कि धारा 16 अधिनियम 1955 के विरूद्व किये गये आवंटनों के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय में प्रदान किये गये निर्देशानुसार आवश्यक रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् आदि प्रस्तुत कर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त प्रकरणों में लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली एवं पैरोकार सरकार कतैई गम्भीर नहीं है, जबकि वाद / रेफरेन्स न्यायालय में पेश किया जाता है तो वादी / प्रर्थी का प्रथम दायित्व है कि वह क्लीन लैण्ड से समस्त तथ्यों को स्पष्ट करते हुए प्रोपर सूट / रेफरेन्स अपने हितों की अभिरक्षा के लिए दायर करें एवं तद्नुसार ही उसे प्रोसीड करें। परन्तु जब प्रकरण संस्थापक किया जावे उस समय ही प्रकरण स्थापित करने वाला उसके प्रति एवं अपने दायित्वों के प्रति उत्तरदायी नहीं हो तो ऐसे प्रकरण ना तो यथा समय निस्तारित हो सकते ना ही उनसे कोई रिलीफ सीक किया जा सकता एव ना ही ऐसे प्रकरण प्रोपर वाद / रेफरेन्स की श्रेणी में शुमार होते । प्रस्तुत विवेचित रेफरेन्स इन सब अवगुणों से भरपूर है। प्रश्नगत मामले में मान्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05 / 6 / 2014 में हस्तगत रेफरेन्स को अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार किया जाकर प्रकरण वापिस न्यायालय हाजा को लौटाया जाकर स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये हैं कि न्यायालय द्वारा व्यक्त मत अनुसार प्रकरण का पुनः परीक्षण करावें ओर वर्तमान जमाबंदी के अंकन मूलतः जिस आवंटन आदेश से सृजित हुए हैं, उक्त आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर, नये सिरे से रेफरेन्स प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। ऐसी परिस्थिति में उक्त पत्रावली को चलाये जाने का कोई ओचित्य नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित विवेचित समस्त तथ्यों को द्रष्टिगत रखते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ खारिज की जाती है कि लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली उक्त मामलों में व्यक्तिगत ध्यान देकर इसे गम्भीरता से लेकर मान्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 05 / 6 / 2014 के अनुसरण में नये सिरे से पूर्ण रूप से विधि प्रावधानों के अनुरूप रेफरेन्स तैयार कर अवलिम्ब प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित करें। आदेश की पालनार्थ लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली को तहरीर जारी हो तथा इसकी प्रतिलिपि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जयपुर एवं श्रीमान् निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को उनके पत्रांक / राम / न्याय / रेफरेन्स / एलआर / 5706 / 10 / जयपुर दिनांक 11 / 7 / 2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हों। हुक्म लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)	